भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या - 1218**

उत्तर देने की तारीख - 28/07/2025

सोमवार, 6 श्रावण, 1947 (शक)

**आंध्र प्रदेश में कौशल विकास परियोजनाएँ**

1218. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित कौशल विकास परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त परियोजनाओं हेतु आवंटित और उपयोग की गई धनराशि कितनी है;

(ग) उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यरत संस्थानों की संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से आंध्र प्रदेश सहित देश भर में समाज के सभी वर्ग के लोगों का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से कौशलीकरण, पुनर्कौशलीकरण और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

**प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):** पीएमकेवीवाई योजना देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व-अधिगम की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण प्रदान करने के लिए है।

**जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)**: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष आयु वर्ग के निरक्षरों, नव-साक्षरों और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों तथा 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वालों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें "दिव्यांगजन" और अन्य योग्य व्यक्तियों को आयु में उचित छूट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी निम्न-आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

**राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस)**: यह योजना शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं को वजीफा भुगतान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण के अंतर्गत बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

**शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)**: यह योजना देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हुए विभिन्न व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करने के साथ-साथ युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है।

(ख) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम के अंतर्गत, निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी की जाती है। जेएसएस योजना के अंतर्गत, धनराशि सीधे गैर-सरकारी संगठनों को जारी की जाती है। एनएपीएस के अंतर्गत, प्रतिष्ठानों को वजीफा सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। आईटीआई के संबंध में दैनिक प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास होता है।

आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों 2022-23 से 2024-25 (दिनांक 31.03.2025 तक) के दौरान पीएमकेवीवाई, जेएसएस और एनएपीएस के कार्यान्वयन हेतु जारी धनराशि निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

| स्कीम | जारी धन राशि |
|---|---|
| पीएमकेवीवाई | 56.48 |
| जेएसएस | 9.66 |
| एनएपीएस | 49.48 |

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य में एमएसडीई की योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) की संख्या निम्नानुसार है:

| **स्कीम** | **प्रशिक्षण केंद्र** |
|---|---|
| पीएमकेवीवाई | 370 |
| जेएसएस | 6 |
| एनएपीएस* | 922 |
| सीटीएस(आईटीआई)^ | 519 |

*एनएपीएस योजना के अंतर्गत, ये आकड़े प्रतिष्ठानों की संख्या के लिए है।
^सीटीएस योजना के अंतर्गत, यह डेटा कुल आईटीआई (सरकारी और निजी) की संख्या से संबंधित है।

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य में एमएसडीई की उपर्युक्त स्कीमों के माध्यम से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

| **स्कीम** | **प्रशिक्षित लाभार्थी** | | |
|---|---|---|---|
| | 2022-23 | 2023-24 | 2024-2025 |
| पीएमकेवीवाई | 5,798 | 32,423 | 35,451 |
| जेएसएस | 16,200 | 10,800 | 10,449 |
| एनएपीएस | 16,093 | 21,701 | 22,075 |
| सीटीएस (आईटीआई) | 48,110 | 50,568 | 52,402 |

*****